Sent by - Jawla
09.03.18

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 41608-11 /वसूली/2017–18 दिनाँकः 09.03.18

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

महत्वपूर्ण

कृपया पत्र के साथ संलग्न **आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ** के पत्र सं0–7959–62/वसूली/भू0वि0बैं0/2017–18, दि0 05.03.2018, जो समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक एवं संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। सन्दर्भित पत्र इस अपेक्षा के साथ समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक एवं संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, को निर्गत किया गया है कि *"जनपद/मण्डल की शाखाओं की देयों की वसूली की समीक्षा अपने निर्देशन में राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं बैंक जनपद/मण्डल के प्रबन्धकों के साथ बुलाकर पाक्षिक रूप से नियमित समीक्षा भी करते रहें और मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त स्तर से कराते रहें तथा समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी करायें।" एवं इस बैंक के देयों की वसूली में विशेष ध्यान देते हुए अपेक्षित प्रगति लायें।*

उक्त पत्र आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं निर्देशों का अध्ययन कर लें तथा अपने जनपद/मण्डल के **सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक एवं संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0,** से उक्त पत्र के साथ सम्पर्क कर बैक देयों की वसूली को प्रभावी ढंग से गति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें तथा शाखा/जनपद स्तर पर कुल लम्बित विभागीय कार्यवाही(95'क') एवं आर0सी0 से आच्दादित बकायेदरों से वसूली हेतु सहकारिता/राजस्व विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर वसूली में अपेक्षित प्रगति लाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर की जायेगी।

संलग्न–यथोपरि।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 प्र0का0/प्रशि0केन्द्र को, **आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0** लखनऊ, के पत्र को इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित कि वह पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं निर्देशों का परिपालन कराते हुए अपने मण्डल के शाखाओं की वसूली का गहन अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार स्वयं सहायक निबन्धक/संयुक्त निबन्धक/जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त/से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से सम्पादित किया जाय।
2. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ, को बैंक की शाखाओं को ई0मेल कराने हेतु।
3. निजी सचिव **आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0** को, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0, महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(आर0बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)

प्रेषक,

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
सहकारिता,
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः 7959-62 /वसूली/भू0वि0बैं0/2017–18 दिनॉकः 05/03/2018

विषयः **उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, के देयों की वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में।**

आप भिज्ञ है कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा अपनी 323 शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को कृषि एवं कृषि आधारित प्रयोजनों हेतु दीर्घ कालीन–मध्य कालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वितरित किय गये ऋणों के सापेक्ष नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वित्त प्राप्त किया जाता है, **जो राज्य सरकार द्वारा दी गई शासकीय गारन्टी के अधीन होता है। वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा रू0 2400 करोड़ की शासकीय गारन्टी नाबार्ड के पक्ष में प्रदान की गई है।** नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वित्त की किश्त की अदायगी समय से होती रहे, साथ ही ग्रामीण कृषकों को ऋण की निरन्तरता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि वितरित ऋणों की वसूली सतत रूप से होती रहे।

उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषित **'फसल ऋण मोचन योजना–2017'** मात्र फसली ऋणों हेतु लागू की गई है, चूँकि इस बैंक द्वारा मध्यावधि एवं दीर्घकालीन निवेश ऋण वितरित किया जाता है। अतएव इस बैंक के ऋणी कृषक उक्त योजना से आच्छादित नहीं है। अतः वसूली को सफल बनाने हेतु आपके सहयोग की आवश्यकता है।

उक्त के क्रम में ही विगत दिवस में इस बैंक के वसूली देयों की समीक्षा की गई जिसमें दि0 23.02.18 तक कुल मॉग 2397.23 करोड़ के सापेक्ष मात्र रू0 357.16 करोड़ वसूल किया गया, जो कि कुल मॉग का 14.90 प्रतिशत है। उक्त स्थिति किसी भी व्यवसायिक संस्था के वित्तीय मानकों के अनुकूल परिलक्षित नहीं हो रही है। **बैंक की वित्तीय स्थितियों के दृष्टिगत दि0 30.06.2018 तक बैंक द्वारा विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है।**

अग्रेतर बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि बैंक के अधिकांश बकायेदारों/ ऋणी सदस्यों द्वारा अपना बकाया शाखा स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अनेकों बार व्यक्तिगत सम्पर्को एवं एल0डी0बी0एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाहियों के उपरान्त भी बकाया अदा नहीं किया जाता है तत्पश्चात ऐसे ऋणी सदस्यों से वसूली हेतु नियमानुसार उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत 95 'क' की कार्यवाही प्रचलन में लाई जाती है जिसका निष्पादन धारा 92 के अन्तर्गत किया जाता है। जिसमें विभागीय अधिकारियों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक होता है।

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, की कार्यरत शाखाओं पर विभागीय कार्यवाही(धारा 95'क') के अन्तर्गत कुल 132208 कृषक आच्छादित है जिन पर मु0 934.65 करोड़ बकाया लगा हुआ है जिनके अवलोकन से विदित होता है कि इन बकायेदारों से वसूली अपेक्षानुरूप नहीं हो रही है। उक्त बकायेदारों से वसूली हेतु सहकारिता विभाग से अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता है।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत लम्बित आर0सी0 के प्रकरणों में वसूली अपेक्षानुरूप कराये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद ने पत्र सं0 1089/2–संग्रह–04(डी0सी0)/2018 दि0 09.02.18 को समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को पत्र निर्गत करते हुए अनुरोध किया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी से सम्पर्क कर अपने स्तर से बैंक देयों की समीक्षा बैठकें आहुत करायें।(छायाप्रति संलग्न)

बैंक की वसूली की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत अमीनों द्वारा बैंक के बकाये की वसूली में पर्याप्त रूचि नहीं ली जाती है। चूँकि एक लाख से कम धनराशि के अल्पकालीन ऋणों की वसूली हेतु कठोर कार्यवाही प्रचलन में न होने के कारण आपके अधीनस्थ अमीनों के पास कार्य की उपलब्धता कम होगी। अतः अपने अधीनस्थ समस्त अमीनों को उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक की वसूली करने हतु शाखा आवंटित/तैनात कर दें तथा उनके द्वारा की जा रही वसूली की नियमित समीक्षा अपने स्तर से करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें ताकि इस बैंक के देयों की वसूली में आशातीत प्रगति हो सके तथा नाबार्ड की किश्तों का समय से भुगतान भी होता रहे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया जनपद/मण्डल की शाखाओं की देयों की वसूली की समीक्षा अपने निर्देशन में राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं बैंक जनपद/मण्डल के प्रबन्धकों के साथ बुलाकर पाक्षिक रूप से नियमित समीक्षा भी करते रहें और मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त स्तर से कराते रहें तथा बैंक की प्रगति/वसूली से समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें। वार्षिक मूल्यांकन के समय आपके द्वारा इस बैंक के देयों की वसूली हेतु की गई प्रगति को विशेष संज्ञान लिया जायेगा।

हमें आशा है कि आप इस बैंक के देयों की वसूली में विशेष ध्यान देते हुए अपेक्षित प्रगति लायेगें।

(एन0के0 सिंह)
आयुक्त एवं निबन्धक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वह अपने अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्त के कम में आवश्यक निर्देश निर्गत करें।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आयुक्त एवं निबन्धक

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /1089/2–संग्रह–04(डी0सी0)/2018, दिनांक 09 फरवरी, 2018

विषय : उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक के देयों की वसूली के अन्तर्गत लम्बित आर0सी0 की वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा प्रदेश की 323 शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण अंचल के कृषकों को कृषि एवं कृषि आधारित प्रयोजनो हेतु दीर्घ–कालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वितरित किये गये ऋण पर बैंक द्वारा नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से पुर्नवित्त प्राप्त किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं को निर्धारित समय पर प्राप्त किए जाने वाले वित्त की अदायगी होती रहे। साथ ही ग्रामीण कृषकों को ऋण की उपलब्धता बनाये रखने के लिए भी आवश्यक है कि बैंक द्वारा पूर्व में वितरित की गई ऋण की वसूली संतोषजनक ढंग से की जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ***फसली ऋण मोचन योजना–2017*** मात्र फसली ऋणों हेतु लागू की गई है, इसलिए इस योजना से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. द्वारा वितरित ऋण आच्छादित नहीं है। बैंक द्वारा विगत समय में वितरित ऋण की वसूली की विभिन्न स्तरो पर समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31–1–18 तक कुल मांग रू0 2397.23 करोड़ के सापेक्ष मात्र रू0 314.46 की वसूली की जा चुकी है, जो कि कुल मांग का 13.12प्रतिशत है। यह स्थिति किसी भी व्यवसायिक संस्था के वित्तीय मानकों के अनुकूल नहीं है, इसलिए बैंक द्वारा दिनांक 30–6–18 तक विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तो को अपने पत्र दिनांक 23–11–17 द्वारा वसूली कार्य में प्रगति लाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। आयुक्त/निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0, लखनऊ द्वारा भी प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अपने पत्र दिनांक 6–12–17 द्वारा वसूली कार्य में सहयोग कर प्रगति बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैंक द्वारा वितरित ऋण में लगभग 30प्रतिशत धनराशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी कर तहसील को भेजी गई है और इसकी वसूली भूराजस्व की बकाये की भाँति की जा रही है। इस पत्र के साथ प्रदेश के समस्त जिला/मण्डल में बकाये की स्थिति संलग्न की जा रही है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वसूली की कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रशासन के जिला/तहसील स्तर के अधिकारियों को वसूली कार्यो में सहयोग करने के लिए कुछ जिलो में अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे वसूली कार्य में गतिशीलता बढ़ायी जाय। इन वाहनो से संबंधित एक सूची भी इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त परिस्थितियों में आपको निर्देशित किया जा रहा है कि जिला एवं मण्डल स्तर पर वसूली कार्यो की समीक्षा के समय उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा वितरित ऋण की वसूली की प्रगति की समीक्षा भी अवश्य की जाय। प्रगति की समीक्षा के समय बैंक के जिला एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों को अद्यावधिक स्थति से अवगत कराने हेतु अलग से बैंक द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

मैं आशान्वित हूँ कि आपके कुशल निर्देशन में उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा वितरित ऋणों की वसूली में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

9/2/18

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं दिनांक यथाउपरोक्तः

1– प्रतिलिपि आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उपर्युक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 07–2–2018 के संदर्भ में प्रेषित।

2– प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय 10 माल एवेन्यू, लखनऊ को इस आशयं के साथ प्रेषित कि बैंक के अधिकारियों को अपने स्तर से उपर्युक्त के कम में आवश्यक निर्देश जारी करें।

आज्ञा से,

(मनोज लाल)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव
9/2/18